

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/५०८
प्रति,


भोपाल, दिनांक 16/05/2020

समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश।

विषय:—कोविड-19 संदिग्ध/पॉजीटिव व्यक्तियों एवं साधारण रोगियों हेतु लक्षण के आधार पर चिकित्सालयों में भर्ती तथा रेफर किये जाने के संबंध में।

प्रायः यह देखने में आया है कि कोविड-19 संदिग्ध/पॉजीटिव व्यक्तियों को लक्षणों के आधार पर निर्धारित चिन्हित चिकित्सालयों में भर्ती नहीं किया जा रहा है जिसके कारण गंभीर मरीजों को अल्प समय में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में रेफर किया जाता है तथा रोगियों में अनेक विपरित लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो इस हेतु जन सामान्य में यह जागरूकता लाना अनिवार्य है कि यदि निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न हो तो तुरंत ही निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र में सम्पर्क करें एवं हेल्प लाइन नंबर 104 पर सम्पर्क कर निर्धारित जिला सर्विलेंस ऑफिसर/ एम.एम.यू मेडिकल ऑफिसर से परामर्श प्राप्त कर मरीज को लक्षणों के आधार पर निर्धारित कोविड केयर सेन्टर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेन्टर अथवा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में निर्धारित वाहन से ले जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि कोविड केयर सेंटर अथवा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेन्टर में उपचारित कोविड-19 संदिग्ध/पॉजीटिव रोगियों तथा सामान्य रोगियों में भी निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न होने पर उन्हें तत्काल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में रेफर किया जाना सुनिश्चित किया जाये :-


1. बुखार।
2. खांसी/सूखी खांसी।
3. सर्दी।
4. सांस लेने में तकलीफ।
5. गले में खराश या दर्द।
6. सरदर्द, मॉसपेशियों में दर्द एवं थकान।
7. ठंड लगना/कंपकपी आना।
8. जी मचलाना, उल्टियां होना या दस्त लगना।
9. नए स्वाद एवं नई गंध की पहचान में असमर्थता होना।
10. रोगी के हाथ एवं पैरों में सूजन आना।
11. छाती लगातार दर्द बना रहना या दबाव महसूस होना।
12. चलने में तकलीफ होना।
13. त्वचा पर दाने आना अथवा हाथों एवं पैर की अंगुलियों के रंग में परिवर्तन होना (नीलापन/कालापन)
14. होठों एवं चेहरे का नीला पड़ जाना।
15. भ्रम की स्थिति महसूस होना।
16. जागने में असमर्थता/जागते रहने में असमर्थता होना।
17. आंखों से पानी आना, दर्द होना व आंखें लाल होना।
18. बोलने व चलने में असमर्थता होना।


(फैज अहमद किदवाई)

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।


प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण